प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में बिना विधानमण्डलों वाले पांच संघ शासित क्षेत्रों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है। इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वे हैं जो 2015-16 के दौरान की नमूना लेखापरीक्षा में तथा जो पहले के वर्षों में पाए गए थे परंतु उनको पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किया जा सका था। 2015-16 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों, जहां कहीं आवश्यक था, को भी इसमें शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।